सुरक्षित बचपन

एक सामाजिक दायित्व

यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा, हम सबकी जिम्मेदारी

परिकल्पना–
श्रीमती राजेश यादव, IAS (से.नि.)
वरिष्ठ सदस्य, बाल संदर्भ केन्द्र,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

मार्गदर्शन–
श्री संजय कुमार निराला
बाल संरक्षण विशेषज्ञ,
यूनिसेफ, राजस्थान।

संपादन–
सुश्री हेमाली लेउवा
बाल संरक्षण अधिकारी,
यूनिसेफ, राजस्थान।

लेखन–
श्री राजकुमार पालीवाल
कार्यक्रम अधिकारी – क्षमतावर्धन,
बाल संदर्भ केन्द्र,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

प्रकाशन–2024
बाल संदर्भ केन्द्र, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

सहयोग–
यूनिसेफ, राजस्थान।

आवश्यक सूचना–
इस पुस्तिका का प्रकाशन बच्चों के साथ यौन शोषण की रोकथाम हेतु किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों, अभिभावकों, बाल संरक्षण हितधारकों एवं जन साधारण में बाल यौन शोषण एवं इसकी रोकथाम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करना है। कृपया इस पुस्तिका में दी गई जानकारी का इस्तेमाल कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें।

श्रेया गुहा आई.ए.एस.
महानिदेशक एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण)

सत्यमेव जयते

ह.च.मा. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302017
फोन : 91-141-2706556, फैक्स 91-2705420
ई-मेल : dg.hcmripa@rajasthan.gov.in

संदेश

बच्चों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, मिशन वात्सल्य सहित बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानून, नीतियां एवं योजनाएं लागू की गई हैं । इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के बावजूद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है ।

आधुनिक समय में भी कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चे उपेक्षा, शोषण, दुर्व्यवहार एवं भेदभाव का सामना कर रहे हैं, जो उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । विगत कुछ वर्षों में बच्चों के साथ होने वाले शोषण एवं हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है । आंकड़ों के अनुसार, बच्चों के साथ यौन शोषण के अधिकांश मामलों में शोषणकर्ता पीड़ित बच्चे का परिचित व्यक्ति है । ऐसे में बच्चों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन जाता है ।

बाल संदर्भ केन्द्र द्वारा राज्य में बाल संरक्षण हितधारकों हेतु प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यक्रमों के आयोजन, बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं संदर्भ सामग्री विकसित करने सहित एक नॉलेज हब के रूप में कार्य किया जा रहा है । बाल संदर्भ केन्द्र द्वारा बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु निर्मित यह पुस्तिका कानूनी प्रावधानों, हितधारकों की भूमिका एवं सामुदायिक दायित्वों को सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत करती है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका अभिभावकों, शिक्षकों, पुलिस, हितधारकों एवं जमीनी स्तर पर बाल संरक्षण से जुड़े हितधारकों को जागरुक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन करेगी । यह पुस्तिका सामुदायिक स्तर पर बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने एवं आमजन की जानकारी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी ।

मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए बाल संदर्भ केन्द्र की टीम को हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएँ देती हूँ ।

श्रेया गुहा

अनुक्रमणिका

अध्याय – 1	बाल यौन शोषण: परिचय एवं शोषणकर्ता का नजरिया • बाल यौन शोषण • बाल यौन शोषणकर्ता एवं उनका बच्चों के प्रति नजरिया	1
अध्याय – 2	बच्चों को विश्वास में लेना एवं यौन शोषण की संभावित परिस्थितियाँ • बच्चों को विश्वास में लेना • बच्चों को विश्वास में लेने या बहलाने/फुसलाने (ग्रूमिंग) के तरीके • बच्चों के साथ यौन शोषण की संभावित परिस्थितियाँ	3
अध्याय – 3	बच्चों के साथ यौन शोषण के संभावित संकेत एवं उनकी पहचान • बच्चों के साथ यौन शोषण के व्यवहारिक संकेत • बच्चों के साथ यौन शोषण के शारीरिक संकेत • बच्चों के साथ यौन शोषण के भावनात्मक संकेत	6
अध्याय – 4	बाल यौन शोषण से जुड़ी भ्रांतियाँ एवं बच्चों की चुप्पी के कारण • बाल यौन शोषण को लेकर कुछ भ्रान्तियाँ/मिथक • बच्चों द्वारा यौन शोषण के बारे में ना बताने के कारण	8
अध्याय – 5	बाल यौन शोषण के दुष्प्रभाव	10
अध्याय – 6	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 एवं मुख्य विशेषताएं • अधिनियम की मुख्य विशेषताएं • मुख्य कानूनी प्रावधान	11
अध्याय – 7	बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं बाल संरक्षण तंत्र की भूमिका • बाल यौन शोषण की रोकथाम में मुख्य हितधारकों की भूमिका	21
अध्याय – 8	बाल यौन शोषण की रोकथाम के प्रति हमारे दायित्व • सामुदायिक दायित्व • व्यक्तिगत दायित्व • माता–पिता/अभिभावकों की भूमिका एवं दायित्व • बच्चे यौन शोषण से अपनी सुरक्षा कैसे करें • बाल संरक्षण हेतु कार्यरत तंत्र एवं उनकी भूमिका	31

प्रस्तावना

भारत, विश्व में बच्चों की अधिक जनसख्ंया वाले देशों में से एक है, जहाँ बच्चे देश की कुल जनसंख्या के 39 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार बच्चें सबसे मूल्यवान संसाधन हैं तथा उनके समुचित विकास के लिए एक सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण प्रदान करना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है।

राजस्थान में लगभग 43 फीसदी जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। राज्य में विगत वर्षों में बच्चों के साथ शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, भावनात्मक शोषण एवं उपेक्षा के मामलों में वृद्धि हुई है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विद्यालयों में सुरक्षित एवं उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने से संबंधित मीडिया में प्रकाशित घटनाएं, एक गम्भीर चिन्ता का विषय है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल शोषण पर राजस्थान सहित भारत के 13 राज्यों में कराये गये एक अध्ययन के निष्कर्षो के अनुसार प्रत्येक 3 बच्चों में से 2 बच्चे शारीरिक शोषण तथा लगभग 53.2% बच्चे यौन शोषण के शिकार होते हैं। उक्त अध्ययन के अनुसार विद्यालयों में 49.9% बच्चे, शोषण (बलात्कार, छेड़खानी, जबरन चूमना/पीछा करना इत्यादि) का शिकार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कारखानों, दुकानों एवं अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले 61.6% बच्चे, सड़क पर रहने वाले 54.5% बच्चे तथा विभिन्न संस्थाओं में रहने वाले 47% बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षो के आधार पर बाल यौन शोषण के कुल अपराधों में से 50 फीसदी अपराध बच्चे के परिचित तथा किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरूद्ध यौन शोषण शोषण की रोकथाम, बच्चों का संरक्षण एवं पीड़ित बच्चों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। इस अधिनियम में बच्चों के विरूद्ध यौन शोषण की परिभाषा को अधिक स्पष्ट करते हुए बच्चे के निजी अंगों को स्पर्श करना, अश्लील चित्र दिखाना, बच्चों से अश्लील कार्य करवाना, अश्लील टिप्पणियां करना, अपशब्द कहना, पीछा करना, सहित अश्लील सामग्री का संधारण इत्यादि यौन अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, 2022 के आंकड़ों के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् वर्ष 2022 में भारत में बच्चों के विरूद्ध यौन शोषण के कुल 63414 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 2021 में दर्ज मामलों की संख्या 53874 है। उक्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में बच्चों के विरूद्ध यौन शोषण के प्रकरणों में लगभग 17% की वृद्धि हुई, जो कि एक गभीर चिंता का विषय है।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बच्चों के साथ बलात्कार के कुल 37907 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 36682 मामलों में बच्चों के साथ ऐसे अपराध करने वाले बच्चों के परिचित व्यक्ति हैं। उक्त रिपोर्ट के आंकलन के अनुसार बच्चों के साथ परिचित व्यक्तिों द्वारा किये गये बलात्कार के अपराध के कुल 36682 प्रकरणों में से 8.93% अपराधी पीड़ित बच्चे के पारिवारिक सदस्य हैं एवं 37.18% अपराधियों में बच्चे के पारिवारिक दोस्त, पड़ौसी, नियोक्ता तथा 53.88% अपराधियों में बच्चे के मित्र/ऑनलाइन मित्र इत्यादि सम्मिलित हैं।

यह संख्या केवल पुलिस में दर्ज बच्चों के साथ यौन शोषण के मामलों की है। उक्त के अतिरिक्त हमारे देश में व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठा, बदनामी, दबाव, उपेक्षा एवं जानकारी के अभाव के कारण अधिकतर मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं, जिनमें पारिवारिक सदस्यों, नजदीकी रिश्तेदारों एवं परिचित व्यक्तियों द्वारा बच्चों का यौन शोषण किये जाने के मामले भी सम्मिलित हैं।

समाज में बालकों के साथ यौन शोषण की घटनाओं को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। यही कारण है, कि आज भी हमारे समाज में बच्चे अपने साथ हुई यौन शोषण की घटना के बारे में बताने से कतराते हैं। जबकि विभिन्न अध्ययन/रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के साथ अधिक यौन शोषण होता है।

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों एवं योजनाओं यथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम, 2016 एवं मिशन वात्सल्य, इत्यादि के क्रियान्वयन सहित विभिन्न प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

बच्चों की सुरक्षा एवं उनके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति तथा बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड राइट्स क्लब, गार्गी मंच, मीना-राजू मंच, अध्यापिका मंच, बाल संसद इत्यादि का गठन किया गया है। बाल देखरेख संस्थानों में भी बाल समितियों का गठन एवं सुझाव/शिकायत पेटिका लगाकर बाल सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि बच्चे अपनी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उठा सकें।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के लागू होने के लगभग 12 वर्ष बाद भी बच्चों के साथ हो रहे यौन शोषण की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु विभिन्न माध्यमों से बच्चों, अभिभावकों सहित समुदाय के अन्य सदस्यों को जागरूक करने के साथ-साथ स्थानीय हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय 1

बाल यौन शोषण
बाल यौन शोषणकर्ता एवं उनका बच्चों के प्रति नजरिया

बाल यौन शोषण

बच्चा किसे कहेंगे ?

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 (1) (घ) के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

बाल शोषण क्या है ?

किसी भी बालक या बालिका को मानसिक या शारीरिक या भावनात्मक नुकसान/क्षति पहुंचाना या दुर्व्यवहार करना या उपेक्षा करना बाल शोषण के अंतर्गत आता है।

बाल यौन शोषण क्या है ?

किसी व्यक्ति द्वारा यौन इच्छाओं की पूर्ति/संतुष्टि के उद्देश्य से किसी भी बालक या बालिका के साथ किया गया कोई कार्य/व्यवहार बाल यौन शोषण कहलाता है। बाल यौन शोषण में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है -

1. बच्चों के निजी अंगों को स्पर्श करना या छेडछाड़ करना या स्वयं/किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंगों को बच्चों से स्पर्श कराना।
2. बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा, मुँह में लिंग या शरीर का कोई अंग या कोई वस्तु प्रवेश करना अथवा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा करवाना।
3. बच्चे को अश्लील फोटो या विडियो दिखाना या अश्लील बातें करना।
4. बच्चे की तरफ अश्लील इशारे करना, अश्लील व अपशब्द बोलना।
5. बच्चे की अश्लील अवस्था में फोटो खींचना एवं विडियो बनाना।
6. बच्चों का बार-बार या निरंन्तर पीछा करना, अश्लील टिप्पणी/कमेन्ट्स करना।
7. अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चों को प्रलोभन देना या तस्करी करना।

(निजी अंगों से अभिप्राय: योनि, लिंग/मूत्रमार्ग, गुदा/मलद्वार, स्तन इत्यादि से है)

बाल अश्लीलता (Child Pornography)

बाल अश्लीलता का मतलब एक बच्चे से संबंधित यौन रूप से स्पष्ट आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण, जिसमें बच्चे की फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर द्वारा वास्तविक बच्चे जैसी दिखने वाली बनाई गई या संपादित / संशोधित की गई छवि से है।

बाल यौन शोषणकर्ता एवं उनका बच्चों के प्रति नजरियां –

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के आंकलन के अनुसार बाल यौन शोषण के 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में शोषणकर्ता/अपराधी पीड़ित बच्चे के परिचित हैं, जिनमें पारिवारिक सदस्य, पारिवारिक मित्र, पड़ौसी, नियोक्ता, बच्चे के मित्र/ऑनलाइन मित्र, इत्यादि सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों एवं संस्थाओं में बच्चों की देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों, जैसे- अध्यापक, बाल देखरेख संस्थान तथा छात्रावास के कर्मचारी, गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी, किरायेदार या मकान मालिक द्वारा बच्चों के साथ यौन शोषण किये जाने के साथ-साथ अनजान/अपरिचित व्यक्तियों एवं बड़े बच्चों द्वारा छोटे बच्चों के यौन शोषण तथा महिलाओं द्वारा बालकों के साथ यौन शोषण के मामले भी सामने आए हैं।

बच्चों के साथ यौन हिंसा या शोषण करने वाले व्यक्तियों का यह मानना होता है, कि बच्चे अपनी पीड़ा या अनुभव किसी से साझा नहीं करेंगे। इसी मानसिकता का लाभ उठाकर वे बच्चों को शोषण का शिकार बनाते हैं, यह सोचते हुए कि-

- बच्चे शर्म, लज्जा, या भय के कारण इस तरह की घटनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होंगे।
- बच्चे आसानी से बहकावे में आ सकते हैं तथा उन्हें लालच या धमकी देकर चुप कराया जा सकता है।
- बच्चे अपरिपक्वता या पर्याप्त/उपयुक्त शब्दों के अभाव में अपने अभिभावकों या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं रख सकते हैं।
- यदि बच्चे कुछ कहेंगे भी, तो समाज उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा।
- बच्चे अपने अनुभवों को सही या गलत के रूप में पहचानने में असमर्थ होंगे।

इन्हीं कारणों से शोषणकर्ता बच्चों की मासूमियत एवं अपरिपक्वता का फायदा उठाकर अपने अपराधों को छुपाने का प्रयास करते हैं।

अध्याय 2

बच्चों को विश्वास में लेना एवं यौन शोषण की संभावित परिस्थितियाँ

यौन शोषण के लिए बच्चों को विश्वास में लेना या बहलाना/फुसलाना (ग्रूमिंग)

बच्चों को विश्वास में लेने से अभिप्राय: शोषणकर्ता द्वारा जानबूझकर बच्चे एवं उसके परिवारिक सदस्यों के साथ मित्रता करना एवं भावनात्मक रूप से जुड़ना, ताकि बाद में बच्चे का यौन शोषण किया जा सके। इस प्रक्रिया में शोषणकर्ता बच्चे को यौन संबंध बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने हेतु धीरे-धीरे सामाजिक संबंध बनाता है तथा विश्वास जीतने के लिए बच्चे एवं उसके परिवार की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए सहारा देने या मित्रता का दिखावा करते हैं।

यौन शोषण के लिए बच्चों को विश्वास में लेने एवं बहकाने के लिए व्यक्तिगत या ऑनलाइन तरीकों का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से बच्चे को विश्वास में लेने या बहकाने के लिए शोषणकर्ता बच्चे के साथ सीधे संपर्क कर उसे यौन शोषण के लिए तैयार करता है, जबकि ऑनलाइन माध्यम में शोषणकर्ता द्वारा बच्चे से संपर्क बनाने के लिए इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया, गेमिंग साइट्स या मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है।

इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति बच्चों के साथ यौन शोषण को स्वयं के आनन्द की अनुभूति एवं मनोरंजन का हिस्सा मानते है। शोषणकर्ता का बच्चों को विश्वास में लेकर उसके साथ यौन शोषण करना, इसलिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि -

- बच्चे द्वारा इसका खुलासा करने की संम्भावना नहीं होती है या कम होती है।
- बच्चे एवं परिवार के सदस्य भी उन पर विश्वास करने लगते हैं।
- बच्चे के साथ अकेले में रहने पर किसी को आपत्ति नहीं होती है।
- बच्चे एवं उसके परिवारजन की शोषणकर्ता के प्रति शुभचिन्तक की अवधारणा होती है।
- बच्चे डर के कारण शोषणकर्ता का विरोध नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शोषणकर्ता बच्चों के साथ बार-बार शोषण करते हैं।

बच्चों को विश्वास में लेने या बहलाने/फुसलाने (ग्रूमिंग) के तरीके–

बच्चे को विश्वास में लेना या बहलाना/फुसलाना (ग्रूमिंग) एक धीमी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत् अपराधी बच्चे को निशाना बनाता है, उनका विश्वास जीतता है, उपहार देकर या बच्चे की चापलूसी करके उसकी ज़रूरत पूरी करता है, बच्चे की देखभाल करके या विशेष समय या यात्राओं के दौरान बच्चे को अलग-थलग करता है तथा बच्चे या उसके माता-पिता को ऐसा महसूस कराता है कि सिर्फ़ वही उसे समझता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है, कि बच्चा यौन शोषण का विरोध ना करे तथा शोषणकर्ता पर विश्वास करे एवं सभी बातों को गोपनीय रखे। बच्चा इस बात से अनभिज्ञ/अस्पष्ट होता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है या यह गलत है या सही।

यौन शोषण के लिए बच्चों को विश्वास में लेने या बहलाने/फुसलाने (ग्रूमिंग) के तरीकों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

- शोषणकर्ता द्वारा बच्चे पर विशेष ध्यान देना, स्पर्श करना या गले लगाना, एक अच्छा श्रोता बनना, परिवार की मदद करने की पेशकश करना एवं बच्चे को इंटरनेट का एक्सेस देना इत्यादि शामिल है। यह आमतौर पर शुरूआत में गैर- यौन प्रवृत्ति का होता है, ताकि बच्चा प्यार एवं शोषण को समझने में अस्पष्ट या भ्रमित रहे।
- बच्चे को अपनी गोद में बैठाना या फिर गलत हरकत को आकस्मिक घटना बताकर शुरुआत करना या अन्य तरीकों से शारीरिक स्पर्श की सीमाओं का परीक्षण करना।
- अभिभावकों से दूरी बनाने हेतु शोषणकर्ता का बच्चे को इस प्रकार एहसास कराना, कि वे दोनों (बच्चा एवं शोषणकर्ता) बहुत घनिष्ठ मित्र हैं तथा अभिभावक हमारी दोस्ती से खुश नहीं हैं।
- शोषणकर्त्ता द्वारा बच्चों को बार-बार इस बात के लिए प्रेरित करना, कि हम दोनो की बातें गोपनीय या राज की बातें हैं, किसी को बताना नहीं है।
- विश्वास में लिए गए अधिकांश पीड़ित बच्चे यौन शोषण के बारे में समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, बच्चों को पता भी नहीं होता कि यह शोषण का हिस्सा है।
- शोषण के बारे में किसी को बताने से रोकने के लिए बच्चे को डराना -धमकाना तथा बच्चे को किसी चीज/कृत्य के लिए दोषी ठहराकर इस बात की पुष्टि करना।
- शोषणकर्ता अपने पद तथा बच्चों की नजरों में अपनी आदरणीयता एवं सम्मान का लाभ उठाकर बच्चे पर अपना हक जताते हुए भी उनके साथ यौन शोषण करने का प्रयास करना।
- बच्चों को यौन शोषण के सामान्य होने का एहसास कराने के लिए बच्चे को यौन/अश्लील तस्वीरें दिखाना।

बच्चों के साथ यौन शोषण की संभावित परिस्थितियां

बच्चों के साथ यौन शोषण कभी भी एवं किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में बच्चों के साथ यौन शोषण की संभावनाएं बढ़ सकती हैं-

- **सड़क पर रहने वाले बच्चे–** ऐसे बच्चे, जो अपने माता-पिता के साथ या अकेले फुटपाथ पर या बिना स्थायी आश्रय के जीवन यापन कर रहे हैं।
- **आत्मविश्वास की कमी–** ऐसे बच्चे जो यह नहीं जानते कि, किस प्रकार का स्पर्श करना या व्यवहार सही है।
- **अवहेलना –** ऐसे बच्चे, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता या किसी वजह से बिना देखभाल के रह रहे हैं।
- **जल्दी भरोसा करने वाले–** ऐसे बच्चे जो बिना सोचे-समझे दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
- **भावनात्मक संवेदनशीलता–** ऐसे बच्चे, जो जल्दी डर जाते हैं तथा अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- **निर्णय लेने में असमर्थता–** ऐसे बच्चे जिनमें स्वयं निर्णय करने की क्षमता नहीं है।
- **अंतर्मुखी स्वभाव–** ऐसे बच्चे जो खुद में सिमटे रहते हैं एवं अपनी समस्याओं को साझा नहीं करते या चुप-चाप रहते हैं।

- **भावनात्मक कमजोरी–** ऐसे बच्चे, जो मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं।
- **विकलांगता –** ऐसे बच्चे, जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता का सामना कर रहे हैं।
- **नशे की प्रवृत्ति –**ऐसे बच्चे जो, नशा करते हैं या जिनके माता-पिता नशे के आदी होने के कारण बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं।
- **पारिवारिक कलह/तनाव–**ऐसे बच्चे, जो पारिवारिक कलह, संघर्ष या तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं।
- **अनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता–** ऐसे बच्चे, जिनका परिवार या परिवारिक सदस्य अनैतिक कार्य/ गतिविधियों में लिप्त हैं।
- **बाल विवाह–** ऐसे बच्चे, जो छोटी उम्र में शादी के बंधन में बंध जाते हैं।
- **बाल श्रम –** ऐसे बच्चे, जो आर्थिक विवशता के कारण श्रम कार्य करने के लिए मजबूर हैं।

अध्याय 3

बच्चों के साथ यौन शोषण के संभावित संकेत एवं उनकी पहचान

बच्चे अक्सर यौन शोषण की घटनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनके व्यवहार, शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों से इसका संकेत मिल सकता है। हालांकि, यह परिवर्तन सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं होते, वे अन्य आघात या मानसिक दबाव के कारण भी हो सकते हैं तथा बच्चे की उम्र के साथ अलग-अलग रूप में सामने आ सकते हैं। इन संकेतों पर ध्यान देना और समझना कि यह क्यों हो रहा है, बच्चे को सही समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। बच्चों के साथ यौन शोषण के संभावित संकेत निम्नलिखित हैं-

बच्चों के साथ यौन शोषण के व्यवहारिक संकेत–

- व्यवहार में अचानक परिवर्तन आना
- किसी खास व्यक्ति के स्पर्श करने, साथ अकेले रहने एवं साथ जाने से डरना
- युवा जैसा व्यवहार करना या युवा जैसे कार्य एवं गतिविधियाँ करना
- कुछ स्थानों या व्यक्तियों के प्रति अचानक एवं बिना कारण भय विकसित होना (जैसे किसी खास शारीरिक गुण या विशेषता वाले सभी लोगों से)
- पढ़ाई का स्तर गिरना एवं स्कूल के काम या प्रदर्शन में गिरावट आना
- खेल-कूद एवं अन्य गतिविधियों में भाग नही लेना
- लगातार स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाने से कतराना या मना करना
- बड़ों के सामने घबराना या शर्माना या आत्म विश्वास का कम होना
- अत्याधिक थकान महसूस करना
- यौनता के बारे में लगातार या उम्र के लिहाज से अनुचित प्रश्न पूछना।

बच्चों के साथ यौन शोषण के शारीरिक संकेत–

- सामान्य से अधिक या कम खाना
- अपना ध्यान नहीं रखना जैसे गंदे कपड़े पहनना, ज्यादा कपड़े पहनना, खाना नहीं खाना इत्यादि
- सोने में परेशानी होना
- पेट का दर्द या जननांगों में दर्द या खुजली
- योनि या मलाशय से रक्त या अन्य स्त्राव
- चलने या बैठने में समस्या

- असामान्य शारीरिक चोट लगना
- बालिकाओं के परिपेक्ष्य में अनियमित मासिक चक्र (माहवारी) या गर्भवती होना।

भावनात्मक संकेत–

- गंभीर चिंता (जैसे बुरे सपने आना)
- मानसिक अवसाद (जैसे अलगाव, कम आत्म सम्मान, आत्महत्या के बारे में सोचना या प्रयास करना, या बार-बार रोना)
- अत्यधिक क्रोध (उदाहरण के लिए नखरे, आक्रामकता, या चिड़चिड़ापन में वृद्धि)
- अपने आप में खोये रहना/किसी से बात करना पसंद नहीं करना
- आत्म-क्षति करने के विचार आना या क्षति पंहुचाना।

अध्याय 4

बाल यौन शोषण से जुड़ी भ्रान्तियां एवं बच्चों की चुप्पी के कारण

बाल यौन शोषण को लेकर कुछ भ्रान्तियां/मिथक

ऊंची आवाज में बात करने, डांटने एवं मारने-पीटने से बच्चे अनुशासित रहते हैं।	यह सच्चाई नहीं है। बल्कि ऐसा करने से बच्चे उनके साथ हो रहे या होने वाले शोषण के बारे में बताने से कतराते/डरते हैं।
बच्चों का शोषण केवल पश्चिमी देशों में होता है, भारत में नहीं।	यह भ्रांति है। शोध के अनुसार, भारत में 50% से अधिक बच्चों का शारीरिक और 53.2% बच्चों का यौन शोषण होता है।
बच्चे अपने परिवार, रिश्तेदारों एवं परिचित व्यक्तियों के साथ पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। शोषण केवल अजनबी करते हैं।	यह गलत है। शोध एवं NCRB के आंकड़ों के अनुसार 69.5% शोषण करने वाले व्यक्ति बच्चे के परिचित होते हैं, जैसे रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, दोस्त या पड़ोसी।
यौन शोषण केवल बालिकाओं के साथ होता है।	यह मिथक है। बालकों के साथ भी यौन शोषण होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट, 2007 के अनुसार देश में 47.5% बालिकाएं एवं 53.2% बालक यौन शोषण के शिकार होते हैं।
केवल पुरुष ही बच्चों का यौन शोषण करते हैं, महिलाएं नहीं।	यह भ्रांति है। महिलाएं भी बच्चों का यौन शोषण कर सकती हैं।
यौन शोषण के मामलों में केवल बालिकाओं को कानूनी संरक्षण एवं न्याय मिलता है।	यह गलत है। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बालक एवं बालिका दोनों को समान कानूनी संरक्षण एवं न्याय के प्रावधान दिये गये हैं।
यदि बच्चे के साथ यौन शोषण होता है, तो वे तुरंत अपने अभिभावकों को इसके बारे में बतायेगें।	बच्चे अक्सर डर, शर्म या दोष के कारण यौन शोषण के बारे में तुरंत बात नहीं करते, उन्हें यह समझने में समय लग सकता है कि उनके साथ गलत हुआ है।
यौन शोषण में केवल शारीरिक संबंध बनाना एवं छेड़खानी करना शामिल है।	यौन शोषण में शारीरिक संबंध बनाने एवं छेड़खानी के अलावा अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों का पीछा करना, बच्चों को अनुचित तरीके से देखना या यौन टिप्पणी करना भी शामिल है।
बच्चे के साथ यौन शोषण के संकेत स्पष्ट होते हैं।	बच्चों के साथ यौन शोषण के संकेत सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे व्यवहार में छोटे बदलाव। कई बार ये स्पष्ट नहीं होते, लेकिन संवेदनशीलता से पहचाने जा सकते हैं।
बच्चों के साथ यौन शोषण केवल गरीब या कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों में होता है। हमारे गांव, समुदाय या विद्यालय में नहीं होता।	यह एक भ्रांति है। बाल यौन शोषण किसी भी सामाजिक, आर्थिक, या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के साथ हो सकता है। चाहे वह कोई भी गांव, समुदाय या विद्यालय ही क्यों न हो।

बच्चों द्वारा यौन शोषण के बारे में ना बताने के कारण

अधिकांश बच्चे अपने साथ हो रहे यौन शोषण के बारे में किसी को जानकारी नहीं देते या बताने में संकोच करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2007 में कराए गए बाल शोषण पर अध्ययन के अनुसार केवल 3.4% बच्चे ही अपने साथ हो रहे यौन शोषण की जानकारी पुलिस को देते हैं। बच्चों द्वारा यौन शोषण के बारे में नहीं बताने के पीछे निम्नलिखित संभावित कारण हो सकते हैं-

- शोषण को सामान्य घटना समझ लेना।
- बच्चों को यौन शोषण की गंभीरता का आभास न होना।
- बच्चों द्वारा शर्म/लज्जा महसूस करना।
- बच्चों के पास शब्दों का अभाव होना।
- शोषण करने वाला व्यक्ति, बच्चे का परिचित व्यक्ति होना।
- बच्चों का आत्मविश्वास कम होना, जिससे वे अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं।
- परिवार या समाज की प्रतिक्रिया का डर होना।
- बच्चों को अपराधबोध महसूस होना, मानो गलती उनकी ही हो।
- बच्चों का अपने माता-पिता या अभिभावकों से दूरी महसूस करना।
- शोषणकर्ता द्वारा बच्चों को यह विश्वास दिलाना कि यह एक ''खेल'' या ''मजाक'' है।
- शोषणकर्ता द्वारा बच्चों को यह बात गोपनीय रखने के लिए कहना, मानसिक एवं भावनात्मक दबाव बनाना या प्रलोभन देना या डराना/धमकाना।
- समाज में यौन शोषण पर खुलकर बात न होने से जागरूकता की कमी।
- बच्चों का यह मान लेना कि बड़े-बुजुर्ग उनकी बात सुनेंगे ही नहीं।
- बच्चों को डर हो सकता है कि जानकारी देने से स्थिति और खराब हो जाएगी।
- बच्चे मानते हैं कि उनके बताने से परिवार को परेशानियों का सामना करना पडे़गा।
- अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा से विमुख होने तथा परिवारजन द्वारा घर से बाहर निकलने पर पाबंदी का डर।

अध्याय 5

बाल यौन शोषण दुष्प्रभाव

किसी भी प्रकार का शोषण बच्चों के जीवन में एक कटु अनुभव के रूप में हमेशा साथ रहता है। बाल यौन शोषण न केवल बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है, अपितु बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बचपन पर गम्भीर असर डालते हैं। यौन शोषण के निम्नलिखित संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं -

- **सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याएं–** समाज से अलगाव, भरोसे की कमी, पारिवारिक समस्याएं तथा आपसी संबंधों में दूरी।
- **शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव–** नींद की समस्याएं, मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, एवं अन्य दीर्घकालिक बीमारियाँ।
- **मनोवैज्ञानिक समस्याएं–** अवसाद, चिंता, पहचान की हानि, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर **(PTSD)**, व्यक्तित्व विकार एवं निरंतर भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव।
- **शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी समस्याएं–** शिक्षा की निरंतरता एवं रोजगार प्राप्त करने तथा आजीविका के संचालन संबंधी समस्याएं।
- **पुन: पीड़ित होने की संभावना–** शोषण के बाद पुन: शोषण या हिंसा का शिकार बनने की संभावना अधिक होती है।
- **आत्म–क्षति एवं आत्महत्या के विचार–** आत्महत्या, आत्म-क्षति, एवं नशीली दवाओं का अत्यधिक सेवन।
- **आक्रामकता एवं अपराध की प्रवृत्ति–** असामाजिक व्यवहार, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि एवं आक्रामकता।
- **यौन संबंधी विकार–** यौन समस्याएं एवं अंतरंग संबंधों में कठिनाई।
- **मादक द्रव्यों का सेवन–** शराब एवं ड्रग्स का बढ़ता उपयोग, अवैध मादक पदार्थों की लत।
- **आर्थिक कठिनाइयां–** कार्यस्थल पर अस्थिरता, रोजगार से संबंधित एवं आर्थिक अस्थिरता।

अध्याय 6

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 एवं मुख्य विशेषताएं

भारत सरकार द्वारा यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा एवं पीड़ित बच्चों हेतु न्याय तथा अपराधियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा विकसित किया गया है। बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु विशेष कानून के रूप में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 एवं नियम 2020 का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस अधिनियम का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा तथा पीड़ित बच्चों हेतु न्याय सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत् बलात्कार, छेड़खानी, जबरन चूमना/पीछा करने जैसे लैंगिक आशय से किये गये विभिन्न कृत्यों को यौन अपराधों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम बच्चों को न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि पीड़ित बच्चों को मानसिक, शारीरिक, एवं भावनात्मक समर्थन देने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली का निर्माण करता है, जिससे वे समाज में सुरक्षित तथा सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं–

- **जेण्डर न्यूट्रल (Gender Neutral)-** यह अधिनियम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अर्थात इसमें बालक एवं बालिका दोनों पीड़ित या आरोपी हो सकते हैं।
- **विशेष न्यायालय–** अधिनियम के तहत् दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के प्रावधान किये गये हैं, ताकि यौन शोषण के मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके ।
- **रिपोर्टिंग एवं रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता–** यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाल यौन शोषण या उसकी संभावना की जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस को सूचित नहीं करना तथा पुलिस द्वारा ऐसे मामले को रिकॉर्ड नहीं किया जाना अपराध माना जाएगा।
- **आरोप सिद्धि का भार आरोपी पर–** यह कानून आरोपी पर यह जिम्मेदारी डालता है, कि वह स्वयं को निर्दोष साबित करे। यह प्रावधान पीड़ित की सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- **प्रतिकर/मुआवजा–** यह कानून बाल यौन शोषण से पीड़ित बच्चे को प्रतिकर/मुआवजे का अधिकार प्रदान करता है। यह मुआवजा बच्चे के चिकित्सा उपचार, पुनर्वास, शिक्षा एवं विकास की अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रदान किया जाता है।
- **संज्ञेय तथा गैर–जमानती अपराध–** इस अधिनियम में वर्णित सभी अपराधों को संज्ञेय तथा गैर-जमानती बनाया गया है, ताकि अपराधियों को तत्काल हिरासत में लेते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके।

मुख्य कानूनी प्रावधान–

प्रवेशन लैंगिक हमला (बलात्कार) –

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे के साथ निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य (कार्य) करना या कराना प्रवेशन लैंगिक हमला (बलात्कार) के अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है-

1. बच्चे की योनि, मुंह, मुत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग अथवा बच्चे की योनि, मुत्रमार्ग या गुदा कोई वस्तु या शरीर का अंग, जो लिंग नहीं है, प्रवेशित करना या स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा कराना।
2. बच्चे के शरीर के किसी अंग के साथ इस प्रकार छेड़छाड़ करना, जो बच्चे की योनि, मुत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अंग को प्रवेशित कराने का कारण बनता है या अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा कराना।
3. बच्चे के लिंग, योनि, गुदा, मुत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाना या स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे से ऐसा कराना।

दण्ड – धारा 04 के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

परन्तु अधिनियम की धारा 5 (गम्भीर प्रवेशन लैंगिक हमला) के अनुसार –

यदि ऐसा अपराध निम्नलिखित द्वारा किया गया है, तो–

- ऐसा अपराध किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पदस्थापित पुलिस थाने या थाना परिसर, ड्यूटी के दौरान या अन्यथा किसी स्थान पर किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी सुरक्षा बल या सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा उस क्षेत्र में जहां उसकी नियुक्ति की गई है या कमान दी गई है या ड्यूटी के दौरान या अन्यथा किसी स्थान पर किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी लोक सेवक (जनप्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी, राजकीय अधिकारी/कर्मचारी इत्यादि) द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध बच्चे के जैविक या दत्तक माता-पिता/पारिवारिक सदस्य/नजदीकी रिश्तेदार (चाचा-चाची/मामा-मामी/बूआ-फूफा/भाई-बहिन इत्यादि) या अभिभावक द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध विवाह से बने संबंधों से जुडे.सदस्य (पति, सास, ससुर इत्यादि) या पोषक माता- पिता/फोस्टर पेरेन्ट्स द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध जेल/रिमाण्ड होम/संरक्षण गृह/बाल देखरेख संस्थान/बच्चे की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थान के प्राधिकारी या न्यासी या प्रबंधन में सम्मिलित सदस्य/कर्मचारी द्वारा संस्थान में आवासित बच्चें के साथ किया गया है।
- ऐसा अपराध राजकीय या गैर राजकीय अस्तपाल के प्रबंधन में सम्मिलित सदस्य/कर्मचारी (डॉक्टर, नर्स या अन्य स्टॉफ) द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान या बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले संस्थान के मालिक या प्रबंधन में सम्मिलित सदस्य/कर्मचारी द्वारा किया गया है।

- ऐसा अपराध बच्चे के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखने वाले या बच्चे के साथ एक ही घर में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसे पूर्व में **POCSO** अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के तहत् यौन अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।
- ऐसा अपराध किसी समूह के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित बच्चे के साथ एक से अधिक बार किया गया है।

यदि ऐसा अपराध निम्नलिखित परिस्थितियों में किया गया है, तो –

- ऐसा अपराध 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किया गया है।
- ऐसा अपराध बालिका के गर्भ से होने की जानकारी होने के बावजूद भी उसके साथ किया गया है।
- ऐसा अपराध सांप्रदायिक/धार्मिक हिंसा या प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के साथ किया गया है।
- ऐसा अपराध करने के बाद बच्चे की हत्या करने का प्रयास किया गया है या बच्चे को सार्वजनिक रूप से नग्न करके घुमाया/अपमानित किया गया है।
- ऐसा अपराध खतरनाक/घातक हथियारों, आग, तेजाब या अन्य ज्वलनशील पदार्थों/ रसायनों का उपयोग करते हुए किया गया है।

यदि ऐसे अपराध के कारण बच्चे के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है, तो–

- ऐसे अपराध के कारण बच्चे के यौन अंग गम्भीर रूप से जख्मी हुए या बच्चे को गम्भीर चोट/ शारीरिक क्षति हुई है।
- ऐसे अपराध के कारण बच्चा ह्यूमन इम्युनोडिफ़िशियन्सी वायरस (HIV) या अन्य किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हुआ है।
- ऐसे अपराध के कारण बच्चा शारीरिक/मानसिक रूप से असक्षम या अस्वस्थ हो गया है।
- ऐसे अपराध के कारण बच्चे की मृत्यु हुई है।
- ऐसे अपराध के कारण बालिका गर्भवती हो गयी है।

उपरोक्त स्थिति में प्रवेशन लैंगिक हमले को गम्भीर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध माना जायेगा।

दण्ड –धारा 06 के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्ष से अधिकतम आजीवन कठोर कारावास या मृत्युदण्ड की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार का अपराध माना जायेगा। परन्तु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 219 (6) के अनुसार ऐसे अपराध के घटित होने की तिथि से 01 वर्ष के पश्चात किसी भी न्यायालय द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा–

- लैंगिक आशय से बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को स्पर्श करना या
- बच्चे से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को स्पर्श कराना या
- लैंगिक आशय से किया गया कोई ऐसा कार्य, जिसमें शारीरिक संपर्क सम्मिलित है (लेकिन प्रवेशन नहीं), को लैंगिक हमले के रूप में परिभाषित किया गया है।

दण्ड–धारा 08 के अनुसार ऐसा करने वाले वाले व्यक्ति को न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

परन्तु अधिनियम की धारा 9 (गम्भीर लैंगिक हमला) के अनुसार –

यदि ऐसा अपराध निम्नलिखित द्वारा किया गया है, तो–

- ऐसा अपराध किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पदस्थापित पुलिस थाने या थाना परिसर, ड्यूटी के दौरान या अन्यथा किसी स्थान पर किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी सुरक्षा बल या सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा उस क्षेत्र में जहां उसकी नियुक्ति की गई है या कमान दी गई है या ड्यूटी के दौरान या अन्यथा किसी स्थान पर किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी लोक सेवक (जनप्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी, राजकीय अधिकारी/कर्मचारी इत्यादि) द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध बच्चे के जैविक या दत्तक माता-पिता/पारिवारिक सदस्य/नजदीकी रिश्तेदार (चाचा-चाची/मामा-मामी/बूआ-फूफा/भाई-बहिन इत्यादि) या अभिभावक द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध विवाह से बने संबंधों से जुड़े सदस्य (पति, सास, ससुर इत्यादि) या पोषक माता- पिता/फोस्टर पेरेन्ट्स द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध जेल/रिमाण्ड होम/संरक्षण गृह/बाल देखरेख संस्थान/बच्चे की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थान के प्राधिकारी या न्यासी या प्रबंधन में सम्मिलित सदस्य/कर्मचारी द्वारा संस्थान में आवासित बच्चें के साथ किया गया है।
- ऐसा अपराध राजकीय या गैर राजकीय अस्तपाल के प्रबंधन में सम्मिलित सदस्य/कर्मचारी (डॉक्टर, नर्स या अन्य स्टॉफ) द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान या बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले संस्थान के मालिक या प्रबंधन में सम्मिलित सदस्य/कर्मचारी द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध बच्चे के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखने वाले या बच्चे के साथ एक ही घर में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसे पूर्व में POCSO अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के तहत् यौन अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।
- ऐसा अपराध किसी समूह के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित बच्चे के साथ एक से अधिक बार किया गया है।

यदि ऐसा अपराध निम्नलिखित परिस्थितियों में किया गया है, तो –

- ऐसा अपराध 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किया गया है।
- ऐसा अपराध बालिका के गर्भ से होने की जानकारी होने के बावजूद भी उसके साथ किया गया है।
- ऐसा अपराध सांप्रदायिक/धार्मिक हिंसा या प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया है।
- ऐसा अपराध किसी शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के साथ किया गया है।
- ऐसा अपराध करने के बाद बच्चे की हत्या करने का प्रयास किया गया है या बच्चे को सार्वजनिक रूप से नग्न करके घुमाया/अपमानित किया गया है।
- ऐसा अपराध खतरनाक/घातक हथियारों, आग, तेजाब या अन्य ज्वलनशील पदार्थों/ रसायनों का उपयोग करते हुए किया गया है।
- किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे को जल्दी यौन परिपक्वता के लिए दवा, हार्मोन या रासायनिक पदार्थ देने के लिए प्रेरित/प्रलोभित या मजबूर किया गया है।

यदि ऐसे अपराध के कारण बच्चे के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है, तो–

- ऐसे अपराध के कारण बच्चे के यौन अंग गम्भीर रूप से जख्मी हुए या बच्चे को गम्भीर चोट/ शारीरिक क्षति हुई है।
- ऐसे अपराध के कारण बच्चा ह्यूमन इम्युनोडिफ़िशियन्सी वायरस (HIV) या अन्य किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हुआ है।
- ऐसे अपराध के कारण बच्चा शारीरिक/मानसिक रूप से असक्षम या अस्वस्थ हो गया है।

उपरोक्त स्थिति में किये गये लैंगिक हमले को गम्भीर लैंगिक हमले का अपराध माना जायेगा।

दण्ड –धारा 10 के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 05 वर्ष से अधिकतम 07 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

लैंगिक उत्पीड़न –

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा–

- लैंगिक आशय से बच्चे को कोई शब्द कहना/आवाज/संकेत करना।
- लैंगिक आशय से कोई वस्तु या शरीर का कोई अंग प्रदर्शित करना या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहना या कहलवाना।
- किसी भी उद्देश्य से बच्चे को कोई अश्लील लेखन वस्तु या अश्लील विडियो/फिल्म दिखाना।
- सीधे ही या इलेक्ट्रॉनिक, डिजीटल या अन्य किसी माध्यम से बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करना, देखना या सम्पर्क करना।
- मीडिया के किसी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंग या बच्चे की संलिप्तता को इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या डिजीटल या किसी अन्य तरीके के जरिये वास्तविक या काल्पनिक चित्रण का उपयोग करने की धमकी देना।

- बच्चे को अश्लील प्रयोजनों के लिए प्रलोभन देना या लुभाना।
- किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील प्रयोजन के उद्देश्य से मीडिया (टेलीविजन चैनल या इन्टरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम या प्रिन्टेड विज्ञापन द्वारा प्रसारण इत्यादि) के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के आशय से किसी रूप में बच्चे का उपयोग करना, जिसमें बच्चे के निजी अंगों को दिखाना, वास्तविक या कृत्रिम कार्यो में बच्चे का उपयोग करना।
- बच्चे की अभद्र या अश्लील प्रस्तुति, अश्लील लेखन प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना।

दण्ड – ऐसा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बच्चों का उपयोग –

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा यौन संतुष्टि/अश्लील प्रयोजन के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के मीडिया (जिसमें व्यक्तिगत उपयोग या वितरण हेतु टेलीविजन चैनल में प्रसारित कार्यक्रम/ विज्ञापन या इंटरनेट/कम्प्यूटर/मोबाइल/अन्य तकनीकी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित रूप प्रसारित कार्यक्रम/विज्ञापन भी सम्मिलित है) में बच्चे का उपयोग करना अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया गया है-

- बच्चे के यौन अंगों का चित्रण करना।
- बच्चे को वास्तविक या काल्पनिक यौन कार्य (प्रवेशन या प्रवेशन के बिना) में सम्मिलित होते हुए दिखाना।
- किसी भी माध्यम से बच्चे का अश्लील चित्रण करना या अश्लील सामग्री बनाना, दिखाना, प्रसारित करना, सुगम बनाना एवं वितरित करने में बच्चे का उपयोग करना।

दण्ड– धारा 14 के अनुसार ऐसा करने वाले वाले व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा तथा अपराध की पुनरावर्ती पर अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा धारा 13 में वर्णित अपराध के साथ–साथ अधिनियम में वर्णित कोई अन्य अपराध करने पर उक्त सजा के अतिरिक्त ऐसे अपराध हेतु निर्धारित सजा से दण्डित किया जायेगा।

बच्चों को सम्मिलित करते हुए अश्लील साहित्य सामग्री का संधारण एवं दण्ड –

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री (चाइल्ड पोर्नाग्राफी) रखना या संग्रहित करना निम्नलिखित परिस्थितियों में अपराध माना जायेगा-

1. अपराध – साझा/प्रसारित करने के उद्देश्य से ऐसी सामग्री को डिलीट (मिटाने)/नष्ट नहीं करना या पुलिस को रिपोर्ट नही करना।

दण्ड–ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 5 हजार रुपये तक के जुर्माने तथा अपराध की पुनरावर्ती पर न्यूनतम 10 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जायेगा । – धारा 15 (i)

2. अपराध– ऐसी सामग्री को किसी समय किसी भी रूप से प्रसारित/दुष्प्रचारित/प्रदर्शित करने या वितरित करने के उद्देश्य से संग्रहित करना/रखना (रिपोर्टिंग या कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य को छोड़कर)

दण्ड–ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । धारा 15 (ii)

3. अपराध– वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऐसी सामग्री को संग्रहित करना/रखना।

दण्ड–ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 से 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से तथा अपराध की पुनरावर्ती पर न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। धारा 15 (iii)

अपराध का दुष्प्रेरण (Abetment of an offence)

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार किसी व्यक्ति को अधिनियम में वर्णित किसी अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी माना जायेगा, यदि वह -

- किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध को करने के लिए उकसाता है।
- एक या अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराध करने की साजिश करता है तथा उस साजिश के चलते ऐसे अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से कोई गैरकानूनी कार्य या भूल हो जाती है।
- जानबूझकर किसी कार्य या गैरकानूनी भूल के द्वारा उस अपराध को करने में सहायता करता है।
- अपराध से पूर्व या अपराध के समय ऐसे अपराध को करने में मदद करता है।
- अपराध के प्रयोजन से धमकी, बल प्रयोग, दबाव, धोखाधड़ी, अपहरण, शक्ति या पद का दुरुपयोग, कमजोरियों का फायदा उठाकर या नियंत्रित करने वाले व्यक्ति से सहमति प्राप्त करने के लिए पैसे/लाभ का लेन-देन के जरिए किसी बच्चे को काम में लगाता है या आश्रय देता है या प्राप्त करता है या परिवहनित करता है।

दण्ड–अधिनियम की धारा 17 के तहत् कोई अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप घटित हो जाता है, तो दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को अपराध हेतु निर्धारित सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

यौन शोषण का अपराध करने के प्रयास –

अधिनियम की धारा 18 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध करने या ऐसे अपराध को कराने का प्रयास करता है तथा ऐसे प्रयास के परिणामस्वरूप अपराध हो जाता है, तो ऐसा करने वाले वाले व्यक्ति को अपराध हेतु निर्धारित सजा की आधी सजा या जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

अपराध को रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड (दर्ज) करना–

इस अधिनियम में वर्णित अपराधों की सूचना देना तथा इसे लेखबद्ध करना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति अपराध की रिपोर्ट करने या पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपराध को रिकॉर्ड/लेखबद्ध करने में असफल रहता है, तो उसे 6 माह के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

परन्तु यदि कोई कम्पनी या संस्था का प्रभारी अपने अधीनस्थ द्वारा किये गये अपराध होने की रिपोर्ट करने में असफल रहता है, तो उसे अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

- कोई भी व्यक्ति (जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं), जिसे बच्चे के साथ यौन अपराध होने की जानकारी है या अपराध होने की आशंका है, तो उसके द्वारा संबंधित स्थानीय पुलिस अथवा विशेष किशोर पुलिस इकाई में सूचना देना अनिवार्य है।
- पुलिस द्वारा इस तरह की घटना की सूचना प्राप्त होने पर 24 घण्टे के भीतर मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित बाल कल्याण समिति एवं विशेष न्यायालय को दी जायेगी।
- पीड़ित बच्चे के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होने (पोक्सो नियम 4 के उपनियम 4 में वर्णित श्रेणी) की स्थिति में बच्चे को 24 घण्टे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

पुलिस/मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे का बयान लेखबद्ध करना–

- पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे के बयान उसके निवास या उसके पसन्दीदा स्थान पर लेखबद्ध किये जायेंगे। किसी भी कारण से रात्रि के समय बच्चे को थाने में नहीं रोका जायेगा।
- पीड़ित बच्चे का बयान लेखबद्ध करते समय पुलिस अधिकारी पोशाक (वर्दी) में नहीं होगा।
- पीड़ित बच्चे के बयान यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी महिला अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में लेखबद्ध किया जायेगा।
- यौन शोषण के प्रकरणों में उप निरीक्षक या इससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा पोक्सो अधिनियम के तहत् दर्ज मामलों में अनुसंधान हेतु थानाधिकारी **SHO** एवं सामुहिक बलात्कार के मामलों में उप पुलिस अधीक्षक या वृत निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को अनुसंधान हेतु अधिकृत किया गया है।
- बच्चे के बयान उसके माता-पिता या बच्चे के विश्वासपात्र व्यक्ति की उपस्थिति में बच्चे द्वारा कहे अनुसार हुबहू लेखबद्ध किये जायेगें।
- बच्चे के बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी लेखबद्ध किये जा सकेगें। बयान लेखबद्ध करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि बच्चा आरोपी के संपर्क में न आये।
- आवश्यकतानुसार बच्चे को द्विभाषिया, अनुवादक या मनोवैज्ञानिक इत्यादि विशेषज्ञों की सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
- पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता भंग नहीं की जायेगी तथा किसी भी स्तर पर बच्चे की पहचान सार्वजनिक नहीं की जायेगी।

मीडिया के लिए प्रकिया–

- किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे की गरिमा एवं सम्मान को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार के मीडिया या स्टूडियों या फोटो चित्रण करना अपराध है, ऐसे मीडिया स्टूडियों एवं फोटो चित्रण सुविधाओं के प्रकाशक या स्वामी संयुक्त एवं पृथक रूप से इस अपराध के लिए जिम्मेदार होगें।
- किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका या ऑडियो-विडियो मीडिया या अन्य किसी संवाद के माध्यम से यौन शोषण से पीड़ित बच्चे की पहचान यथा बच्चे का नाम, पता व फोटो, परिवार का विवरण, पड़ौसी या अन्य विवरण उजागर/प्रकाशित करना अपराध है।
- उक्त में से किसी प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना या सजा एवं जुर्माना दोनों से दण्डित किया जायेगा।

बच्चे की चिकित्सीय जांच–

- पीड़ित बच्चे की चिकित्सीय जांच प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुए बिना भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 184 के अनुसार संचालित की जायेगी।
- बच्चे के माता-पिता/अभिभावक या बच्चे के विश्वासपात्र व्यक्ति की उपस्थिति में चिकित्सीय जांच की जायेगी।

- बच्चे की चिकित्सा जांच के समय माता-पिता/अभिभावक या बच्चे के विश्वास पात्र व्यक्ति के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अस्पताल प्रशासन/मेडिकल बोर्ड द्वारा नामित किसी महिला की उपस्थिति में चिकित्सीय जांच की जायेगी।
- पीड़ित बालिका की चिकित्सीय जांच महिला डॉक्टर द्वारा की जायेगी।

विशेष न्यायालय–

- अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में पृथक से एक या एक से अधिक विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय स्तर के) का गठन किया गया है।
- विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेने के 30 दिनों की अवधि के भीतर बच्चे का साक्ष्य /बयान लेखबद्ध किये जायेंगे।
- विशेष न्यायालय द्वारा बन्द कमरे में, बच्चे के माता-पिता, संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चा विश्वास करता है, की उपस्थिति में बाल मैत्री वातावरण में सुनवाई की जायेगी।
- विशेष न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये या एक तरफ दिखाई देने वाले कांच या पर्दे या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करते हुए बच्चे के बयान को लेखबद्ध कर सकेगा।
- विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान या विचारण के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान प्रकट नहीं हो, परन्तु लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के लिए बच्चे के हित, विशेष न्यायालय ऐसा प्रकटीकरण की अनुमति दे सकेगा।
- विशेष न्यायालय द्वारा यथासंभव अपराध का प्रसंज्ञान लेने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर मामला निस्तारित किया जायेगा।

विधिक सहायता–

अधिनियम के अंतर्गत बच्चे का परिवार या संरक्षक अपनी पसन्द के विधि अधिवक्ता की सहायता लेने का हकदार है। यदि बच्चे का परिवार या संरक्षक, अधिवक्ता का खर्च वहन करने में असमर्थ है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगें।

प्रतिकर/मुआवजा एवं विशेष राहत –

प्रतिकर/मुआवजा–विशेष न्यायालय द्वारा समुचित मामलों में स्वप्रेरणा से या आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के पश्चात पीड़ित बच्चे के पक्ष में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 एवं यथा संशोधित योजना 2015 एवं 2023 के तहत् अन्तरिम अथवा अंतिम (पूर्ण) मुआवजा/प्रतिकर का आदेश पारित किया जा सकेगा।

विशेष राहत –राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 8 (1) के तहत् बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पीड़ित बच्चों की तात्कालिक/आकस्मिक आवश्यकताओं (कपड़ा, परिवहन, चप्पल, बर्तन इत्यादि) की पूर्ति हेतु 12000/- रूपये की एकमुश्त राशि तथा 3 माह की अवधि के लिए भोजन सामग्री हेतु 1500/- रूपये प्रतिमाह सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

सहायक सेवाएं–

अधिनियम के अनुसार यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के प्रकरणों में बच्चे की सहयता हेतु पुलिस, मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय, बाल कल्याण समिति एवं अन्य प्राधिकरणों को जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से आवश्यकतानुसार निम्नलिखित सहायक सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा सकेगी-

1. **विशेषज्ञों की सेवाएं –** जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, बाल विकास या बच्चों के संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवाएं।
2. **विशेष शिक्षक की सेवाएं –** विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की व्यक्तिगत चुनौतियों एवं आवश्यकताओं को समझकर कर बच्चे के साथ संवाद करने में प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवाएं।
3. **सहायक व्यक्ति की सेवाएं–**बाल कल्याण समिति द्वारा पीड़ित बच्चे के प्रकरण में पुलिस अनुसंधान एवं विचारण से पूर्व तथा अनुसंधान एवं विचारण के दौरान बच्चे की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार बच्चे के माता-पिता/संरक्षक की सहमति उपरान्त उपलब्ध कराई जाने वाली सहायक व्यक्ति की सेवाएं।
4. **द्विभाषिया की सेवाएं–**एक भाषा से दूसरी भाषा में बोलकर अनुवाद करने वाले व्यक्ति की सेवाएं, ताकि बच्चे से सही एवं बाधारहित संवाद हो सके।
5. **अनुवादक की सेवाएं –**लिखित सामग्री/दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति की सेवाएं, ताकि बच्चे से संबंधित किसी दस्तावेज (घर का पता, पहचान-पत्र, आदेश या निर्णय की प्रति इत्यादि) में लिखित सामग्री समझा या बच्चे को समझाया जा सके।

अध्याय 7

बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं बाल संरक्षण तंत्र की भूमिका

बाल यौन शोषण की रोकथाम में मुख्य हितधारकों की भूमिका

बाल यौन शोषण की रोकथाम तथा पीड़ित बच्चों के संरक्षण, उपचार न्याय की प्राप्ति एवं पुनर्वास में प्रमुख हितधारकों यथा ग्राम पंचायत, शिक्षक,पुलिस, चिकित्सक, बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई इत्यादि की संभावित भूमिका निम्नानुसार है-

विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों की भूमिका–

1. विद्यालयों के सभी यौन शिक्षकों/ कर्मचारियों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना।
2. शिक्षकों द्वारा बाल शोषण के व्यवहारिक एवं शारीरिक संकेत को पहचानना।
3. यदि कोई बच्चा उसके साथ यौन शोषण के बारे में बताता है, तो इसे गम्भीरता से लिया जाये तथा बच्चे को पूर्ण सहायता उपलब्ध कराना।
4. प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रशासक द्वारा शिकायत पेटी तथा अन्य माध्यमों से किसी बच्चे के साथ यौन शोषण होने या इसकी संभावना की जानकारी मिलने पर अविलम्ब पुलिस को सूचित करना।
5. ऐसे मामले को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना पोक्सो अधिनियम के तहत् दण्डनीय अपराध है।
6. विद्यालयों के किसी कार्मिक द्वारा किसी बच्चे का यौन शोषण किये जाने के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त संबंधित कार्मिक को तत्काल निलम्बित कर आवश्यक कार्यवाही करना।

7. विद्यालय प्रबंध समितियों एवं गैर राजकीय विद्यालयों में स्थापित अभिभावक शिक्षक संघ (पेरेन्ट्स टीचर ऐसोसियेशन) में बच्चों के अभिभावकों से भी बच्चों के व्यवहार एवं बाल यौन शोषण से सुरक्षा के संबंध में चर्चा करना।
8. विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को माह में कम से कम 2 बार प्रार्थना के पश्चात उनके अधिकारों एवं बाल यौन शोषण से सुरक्षा के सबंध में जागरूक करना तथा माह में कम से कम 1 बार सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श पर सत्र आयोजित कराना।

9. विद्यालयों के सार्वजनिक स्थान पर शिकायत पेटी लगाना तथा विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रत्येक 15 दिवस पर शिकायत पेटी को खोलकर प्राप्त शिकायतों पर गोपनीयता से त्वरित कार्यवाही करना।
10. विद्यालय द्वारा बाल सुरक्षा नीति बनाना तथा इस नीति के बारे में जानकारी तथा अनुपालना के संबंध में विद्यालय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति (शिक्षक, कर्मचारी, बाहरी अनुदेशकों तथा बच्चों के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति) से हस्ताक्षरित कराना।
11. बाल यौन शोषण से पीड़ित बच्चे की किसी माध्मय से पहचान (बच्चे का नाम, परिवार, फोटो, पता या अन्य विवरण) उजागर नहीं करना।
12. शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ मित्रवत एवं भरोसेमंद व्यवहार करना, ताकि बच्चे बिना किसी डर/झिझक के अपनी समस्याएं साझा कर सकें।
13. विद्यालयों में बच्चों के परिवहन हेतु उपयोग में आने वाले वाहन चालकों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराना तथा उन्हें बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी देना।
14. विद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले पिकनिक एवं बाहरी यात्राओं तथा अन्य गतिविधियों के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतना।
15. बच्चों की उम्र एवं समझ के अनुसार यौन शिक्षा प्रदान करना, ताकि वे अपने अधिकारों एवं शरीर की सुरक्षा के बारे में जागरूक हो सकें।

ग्राम पंचायत की भूमिका–

1. बच्चों के साथ यौन शोषण की प्रत्येक घटना की सूचना तत्काल पुलिस में रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
2. पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार के साथ किसी प्रकार के सामाजिक या सामुदायिक भेदभाव, उपेक्षा या बहिष्कार न किया जाये यह सुनिश्चित करना।

3. पीड़ित बच्चे की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना।
4. बच्चे एवं उसके परिवार को सामाजिक एवं मानसिक समर्थन प्रदान करना, ताकि वे सामान्य जीवन यापन कर सकें।
5. पुलिस अनुसंधान एवं बच्चे के पुनर्वास की प्रक्रिया में संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।
6. बाल यौन शोषण की घटनाओं की रोकथाम के लिए पंचायत क्षेत्र में नियमित जागरूकता अभियान संचालित कर बाल यौन शोषण से बचाव की जानकारी प्रदान करना।
7. पंचायत क्षेत्र में जोखिम संभावित स्थान (सुनसान इलाके, रास्ते एवं सार्वजनिक स्थान इत्यादि) को चिन्हित कर नियमित निगरानी सुनिश्चित करना।
8. पंचायत द्वारा बच्चों की सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना एवं इसकी निरंतरता को बनाए रखना।
9. ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा विद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं बच्चों के साथ संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझना।
10. बच्चों को बाल यौन शोषण की शिकायत कहाँ और कैसे करें ? इसके बारे में जानकारी प्रदान करना।
11. ग्राम पंचायत में बाल कल्याण और संरक्षण समिति की नियमित बैठकें आयोजित कर बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करना तथा बच्चों की समस्याओं का समाधान एवं उनकी सुरक्षा के लिए पंचायत द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना।
12. बाल संरक्षण से संबंधित पंचायत स्तरीय कार्ययोजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
13. बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विशेष ग्राम सभा एवं बाल सभा का आयोजन करना।
14. बच्चों से संबंधित विशेष दिवसों यथा बाल दिवस, बालिका दिवस इत्यादि का आयोजन कर बच्चों को उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

पुलिस की भूमिका–

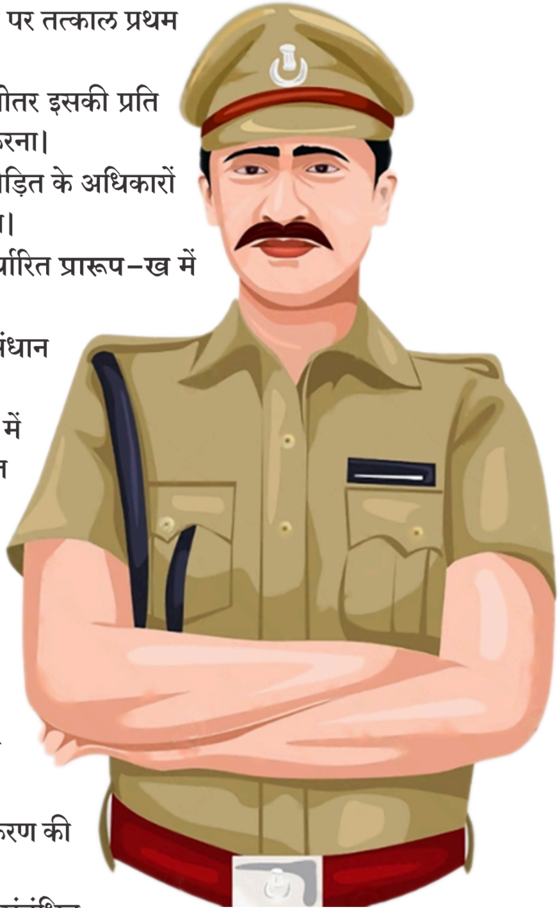

1. बच्चे के साथ यौन शोषण होने या इसकी आशंका होने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करना।
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर इसकी प्रति बाल कल्याण समिति एवं विशेष न्यायालय को प्रेषित करना।
3. पोक्सो नियम, 2020 के तहत् प्रारूप–क में वर्णित पीड़ित के अधिकारों के बारे में बच्चे एवं उसके माता-पिता को जानकारी देना।
4. बाल कल्याण समिति को पोक्सो नियम, 2020 में निर्धारित प्रारूप–ख में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना।
5. यौन शोषण के प्रकरणों में अधिकतम 01 माह में अनुसंधान पूरा कर चालान को विशेष न्यायालय में पेश करना।
6. पीड़ित बच्चों के विरुद्ध अन्य अपराध होने की स्थिति में संबंधित अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रभावी कार्यवाही करना।
7. पीड़ित बच्चों के प्रकरणों में आवश्यकतानुरूप संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से विशेष शिक्षक/परामर्शदाता/अनुवादक इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करना।
8. पीड़ित बच्चे/परिवार को आरोपी की जमानत अर्जी का नोटिस तामील करना एवं उसे जमानत अर्जी की सुनवाई की तारीख की सूचना देना।
9. पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार को समय-समय पर प्रकरण की नवीनतम स्थिति से अवगत कराना।
10. पुलिस द्वारा बच्चे या उसके परिवारजन को मुआवजे से संबंधित प्रावधान एवं प्रक्रिया से अवगत कराना।
11. थानाधिकारी द्वारा तत्काल चिकित्सा देखभाल हेतु राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2023 के तहत् अंतरिम प्रतिकर/मुआवजा हेतु प्रमाण-पत्र जारी करना।
12. पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता संरक्षित रखना तथा किसी स्तर पर पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक नहीं करना।
13. पुलिस द्वारा बाल यौन हिंसा की शिकायत करने वाले व्यक्ति एवं बच्चे को आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपलब्ध कराना।
14. स्थानीय स्तर पर संचालित बाल गृहों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में जाकर बाल यौन शोषण के बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी देना।
15. पीड़ित बच्चे या बच्चे के माता-पिता को चालान/अन्तिम रिपोर्ट की नि:शुल्क प्रति उपलब्ध कराना तथा पुलिस कार्यवाही एवं अनुसंधान के दौरान बाल मैत्री प्रक्रिया का पालन करना।

पीड़ित बालिका के गर्भवती होने की स्थिति में पुलिस की भूमिका–

1. अनुसंधान अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान गर्भधारण के संबंध में जानकारी करना।
2. बालिका के गर्भवती होने की स्थिति में बालिका एवं उसके परिजन/संरक्षक को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराना।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से बालिका एवं उसके परिजन/संरक्षक को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग उपलब्ध कराना।
4. यदि पोक्सों नियम 4 के तहत् देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिका के प्रकरण में बालिका के गर्भवती होने की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति को उपलब्ध कराना।
5. बालिका एवं उसके माता-पिता/संरक्षक को गर्भपात से संबंधित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करना।
6. गर्भपात एवं प्रसव के समय मौजूद रहना तथा फोरेन्सिक साक्ष्य संरक्षित रखना तथा जांच के लिए प्रेषित करना।
7. बालिका के गर्भधारण/गर्भपात/प्रसव की वस्तुस्थिति को अनुसंधान में सम्मिलित करना तथा विशेष न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराना, ताकि पीड़ित बालिका को प्रतिकर/मुआवजा प्राप्त हो सके।

बाल कल्याण समिति की भूमिका–

1. बच्चे के साथ किसी भी तरह के यौन शोषण की शिकायत प्राप्त होने पर प्रसंज्ञान लेकर पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
2. बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होने पर व्यक्तिगत देखरेख कार्ययोजना एवं सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट कराते हुए बच्चे की देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार एवं पुनर्वास के संबंध में निर्णय लेना।
3. पीड़ित बच्चे के प्रकरण में आवश्यकतानुसार पीड़ित बच्चे के माता-पिता/संरक्षक की सहमति से सपोर्ट पर्सन की सेवाएं की उपलब्धता कराना।
4. पीड़ित बच्चे का अविलम्ब पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाना तथा नियमानुसार एक निश्चित अवधि तक अनुवर्तन सुनिश्चित करना।
5. जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित बच्चे या उसके परिवार को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. पीड़ित बच्चे या उसके परिवारजन को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर संशोधित योजना, 2023 एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत मुआवजा/प्रतिकर प्राप्त करने के प्रावधानों से अवगत कराना।
7. लैंगिक शोषण से पीड़ित बच्चों के प्रकरणों में प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करना।
8. पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता संरक्षित रखना तथा किसी स्तर पर पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक नहीं करना।
9. क्षेत्राधिकार में आने वाले बाल देखरेख सस्थानों/छात्रावासों का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं बच्चों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा के संबंध में चर्चा करना।
10. प्रत्येक यौन हिंसा/शोषण से पीड़ित बच्चे को काउंसलर की सेवाएं सुनिश्चित कराना।

पीड़ित बालिका के गर्भवती होने की स्थिति में बाल कल्याण समिति की भूमिका–

1. बालिका के गर्भवती होने तथा पोक्सों अधिनियम के तहत् प्रकरण दर्ज नहीं होने की जानकारी मिलने पर 24 घण्टे की अवधि में पुलिस के माध्यम से विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
2. पीड़ित बालिका के गर्भधारण होने की जानकारी प्राप्त होने के अधिकतम 48 घण्टे की अवधि में पीड़ित बालिका, उनके परिजन/संरक्षक एवं सपोर्ट पर्सन (बाल मित्र) को तत्काल आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराना।
3. पीड़ित बालिका को जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से अपेक्षित मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग उपलब्ध कराना।
4. पीड़ित बालिका एवं उनके परिजन/संरक्षक को लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण नियम, 2020 के नियम 6 (7) के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से अवगत कराया जाये।
5. पीड़ित बालिका के बाल देखरेख संस्थान में आवासरत होने की स्थिति में बालिका के गर्भपात के संबंध में किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 34(5) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित करना।
6. पीड़ित बालिका के गर्भधारण की अवधि 24 सप्ताह से अधिक होने पर बालिका एवं उनके परिजन / संरक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता के जरिये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गर्भपात की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन कराया जाना सुनिश्चित करना।
7. उक्त आवेदन में अविलंब अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित करना।
8. पीड़ित बालिका के माता-पिता/विधिक संरक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समिति द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(31) के तहत संरक्षक नियुक्त करना।
9. पीड़ित बालिका के गर्भपात अथवा प्रसव के समय संबंधित पुलिस अनुसंधान अधिकारी के मौजूद रहने तथा फोरेन्सिक साक्ष्य संरक्षित रखने की कार्यवाही हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करना।
10. पीड़ित बालिका के चिकित्सीय कारणों से गर्भपात नहीं किये जाने अथवा बालिका द्वारा प्रसव के पश्चात नवजात शिशु के जन्म पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित बालिका को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से अवगत कराना।
11. पीड़ित बालिका के गर्भधारण होने/गर्भपात कराये जाने की वस्तुस्थिति से संबन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करना।
12. पीड़ित बालिका के चिकित्सीय प्रयोजन के उद्देश्य से अपेक्षित पहचान संबंधी दस्तावेजों की अनुपलब्धता की स्थिति में पुलिस के माध्यम से बालिका के परिजन/संरक्षक से दस्तावेज प्राप्त करना।
13. पीड़ित बालिका के शारीरिक/मानसिक रूप से दिव्यांग होने या भाषा समझ में नहीं आने की स्थिति में जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से विशेष शिक्षक/दुभाषिया/अनुवादक की सेवाएं प्राप्त करना।
14. पीड़ित बालिका के गर्भधारण के प्रकरणों में लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण नियम, 2020 के नियम 8 के तहत नियमानुसार विशेष राहत जारी करना।
15. पीड़ित बालिका को गर्भावस्था में चिकित्सीय उपचार एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्तरिम अथवा अन्तिम प्रतिकर/मुआवजा दिलवाने के संबंध में यथोचित कार्यवाही करना।

जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका–

1. बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बच्चों को बाल अधिकारों एवं यौन शोषण से सुरक्षा के संबंध में जागरूक करना तथा बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान संचालित करना।
2. बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बच्चों के साथ यौन शोषण की सूचना पर तत्काल मामले की रिपोर्टिंग करना। ऐसे मामलों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना पोक्सो अधिनियम के तहत् दण्डनीय अपराध है।
3. बाल देखरेख संस्थान में कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों को बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना।
4. बाल देखरेख संस्थान में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक द्वारा किसी बच्चे के साथ यौन शोषण किये जाने के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त संबंधित कार्मिक को तत्काल निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करना तथा पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता संरक्षित रखना ।
5. जिला बाल सरंक्षण इकाई की नियमित बैठकों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी कराना।
6. विशेष शिक्षक/कानूनी विशेषज्ञ/बाल विकास विशेषज्ञ/अनुवादक, परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्वैच्छिक संगठनों की सूची तैयार कर सभी पुलिस थानों, समिति, बोर्ड एवं विशेष न्यायालय को प्रेषित करना।
7. यथासंभव प्रत्येक बाल यौन शोषण से पीड़ित बच्चे को काउंसलर की सेवाएं उपलब्ध कराना।
8. प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान के सार्वजनिक स्थान पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित कराना।

पीड़ित बालिका के गर्भवती होने की स्थिति में जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका–

1. पीड़ित बालिका के गर्भवती होने की जानकारी प्राप्त होने के अधिकतम 48 घण्टे की अवधि में बालिका, उनके परिजन/संरक्षक एवं सपोर्ट पर्सन (बाल मित्र) को तत्काल आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराना।
2. पीड़ित बालिका को अपेक्षित मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग उपलब्ध कराना।
3. पीड़ित बालिका एवं उनके परिजन/संरक्षक को लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण नियम, 2020 के नियम 6 (7) के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से अवगत कराया जाये।
4. पीड़ित बालिका के बाल देखरेख संस्थान में आवासरत होने की स्थिति में बालिका के गर्भपात के संबंध में किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 34(5) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
5. पीड़ित बालिका एवं उनके परिजन/संरक्षक की सहमति पर बालिका द्वारा गर्भपात कराये जाने के संबन्ध में उनका पंजीकृत चिकित्सालय एवं पुलिस अनुसंधान अधिकारी से समन्वय सुनिश्चित करना।
6. पीड़ित बालिका के गर्भधारण की अवधि 24 सप्ताह से अधिक होने पर बालिका एवं उनके परिजन / संरक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क विधिक सहायता के जरिये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गर्भपात की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन सहयोग करना।
7. पीड़ित बालिका के गर्भपात अथवा प्रसव के समय संबंधित पुलिस अनुसंधान अधिकारी के मौजूद रहने तथा फोरेन्सिक साक्ष्य संरक्षित रखने की कार्यवाही हेतु संबंधित थानाधिकारी से समन्वयन करना।
8. बालिका के चिकित्सीय कारणों से गर्भपात नहीं किये जाने या बालिका द्वारा नवजात शिशु के जन्म पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित बालिका को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से अवगत कराना।
9. अभ्यर्पण की प्रक्रिया के लिये आवश्यकतानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिग की प्रक्रिया का उपयोग सुनिश्चित करना।
10. पीड़ित बालिका के शारीरिक/मानसिक रूप से दिव्यांग होने या भाषा समझ में नहीं आने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी को विशेष शिक्षक/दुभाषिया/अनुवादक की सेवाएं उपलब्ध कराना।
11. बालिका के गर्भवती होने/गर्भपात कराने संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करना।

अस्पताल/पंजीकृत चिकित्सक की भूमिका–

1. किसी भी स्थिति में यौन हिंसा से पीड़ित बच्चे की चिकित्सा उपचार/जांच में विलम्ब नहीं करना तथा ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की मांग करना।
2. यौन शोषण के पीड़ित बच्चों की चिकित्सा जांच अभिभावक/ संरक्षक/ सहायक व्यक्ति अथवा बच्चे के विश्वासपात्र व्यक्ति की उपस्थिति में करना।
3. चिकित्सा जांच के समय पीड़ित बच्चे के परिवारजन साथ में नहीं होने की स्थिति में अस्पताल प्रशासन/मेडिकल बोर्ड द्वारा नामित महिला की उपस्थिति में चिकित्सा जांच करना।
4. जहाँ तक संभव हो महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जाँच की जायेगी।
5. जांच एवं साक्ष्य संग्रह के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना करना तथा पुलिस को सूचित करना।
6. पीड़ित बच्चे को अत्यधिक ट्रोमा में होने की स्थिति में जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से तत्काल काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराना तथा पीड़ित बच्चे द्वारा बताए गए तथ्यों पर विश्वास करना।
7. 12 वर्ष से अधिक उम्र के पीड़ित बच्चों की चिकित्सा जांच से पूर्व में निर्धारित प्रपत्र में सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। पीड़ित बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम होने पर उसके माता-पिता/ संरक्षक की स्पष्ट सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
8. यदि पीड़ित बच्चा चिकित्सा जांच से इन्कार करता है, तो जबरन सहमति प्राप्त करने हेतु उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जायेगा।
9. पीड़ित बच्चों की जांच में अधिक समय लग सकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें।
10. पीड़ित बच्चे को सहज महसूस कराएं एवं विश्वास स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय दें।
11. पीड़ित बच्चे से जानकारी प्राप्त करने के लिए डॉल्स (गुड़िया) या शरीर के चार्ट का उपयोग करना।

12. यौन शोषण से पीड़ित बालक/बालिकाओं को नियमानुसार आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना तथा भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देश में निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा जांच करना।
13. चिकित्सक/नर्स एवं अन्य कार्मिकों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा बाल यौन शोषण के प्रकरणों में चिकित्सा जांच हेतु जारी दिशा-निर्देश के प्रावधानों से अवगत कराना।
14. राजकीय/गैर राजकीय अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को नि:शुल्क प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
15. पीड़ित बच्चे के उपचार एवं चिकित्सा जांच के दौरान सावधानी बरतना एवं संवेदनशील रहना।
16. चिकित्सा उपचार के दौरान किसी भी जाति, धर्म या विकलांगता के आधार पर कोई पूर्वाग्रह नही रखना।
17. पीड़ित बच्चों के प्रकरणों में आवश्यकतानुरूप संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से विशेष शिक्षक/परामर्शदाता/अनुवादक इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करना।
18. बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, ताकि बच्चे बिना किसी डर/झिझक के अपने अनुभव साझा कर सके।
19. पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता संरक्षित रखना तथा किसी स्तर पर पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक नहीं करना।

सहायक व्यक्ति (बाल मित्र) की भूमिका–

1. बच्चे एवं उसके अभिभावकों (या जिस पर बच्चा विश्वास करता है) को आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति से अवगत कराना।
2. बच्चें के संबंध में जाति, धर्म या विकलांगता के आधार पर कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना।
3. विभिन्न अधिनियम एवं योजनाओं के तहत् पीड़ित के अधिकार एवं सेवाओं के बारे में बच्चे एवं उसके अभिभावकों को जानकारी प्रदान करना।
4. प्रकरण में की गई कार्यवाही, आरोप पत्र दाखिल होने की स्थिति, संदिग्ध अपराधी की गिरतारी, जमानत एवं प्रकरण की प्रगति एवं अद्यतन: स्थिति से बच्चे एवं उसके अभिभावकों को अवगत कराना।
5. बच्चे को विशेष न्यायालय, कार्यप्रणाली, पुलिस अनुसंधान एवं न्यायिक प्रक्रिया से परिचित करवाना।
6. पुलिस कार्यवाही, चिकित्सा जांच, न्यायिक कार्यवाही के दौरान बच्चे के साथ रहना।
7. यदि पीड़ित बच्चा न्यायालय में आने में असहज हो, तो ऑडियो/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज कराने के लिए आवेदन करना।
8. बच्चे के प्रकरण में आवश्यकतानुसार काउंसलर, द्विभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक, नि:शुल्क विधिक सहयता इत्यादि आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में समन्वय कर सहयोग करना।
9. आवश्यकतानुसार पुलिस एवं न्यायिक कार्यवाही के दौरान का बच्चे का प्रतिनिधित्व करना तथा बच्चे की ओर से वांछित दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत करना।
10. बच्चे को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, एस.टी./एस.सी. अधिनियम एवं अन्य माध्यमों से मुआवजा/प्रतिकर दिलाने में सहायता करना।
11. न्याययिक कार्यवाही के दौरान बच्चे के न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति में उपस्थित होने की स्थिति में बच्चे की ओर से यात्रा व्यय के पुनर्भरण के लिए आवेदन में सहयोग करना।
12. आवश्यकतानुसार विशेष लोक अभियोजक/राजकीय अधिवक्ता, पुलिस, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चे के हित में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
13. विशेष न्यायालय के फैसलों एवं प्रकरण की प्रगति की जानकारी बच्चे तथा उसके अभिभावकों को देना तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथियों पर समय पर उपस्थित होना।
14. बच्चे से किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अभद्रता या दुर्व्यवहार करने पर विशेष न्यायालय, बाल कल्याण समिति एवं पुलिस थाने को सूचित करना।
15. बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना, ताकि बच्चा बेझिझक संवाद कर सके तथा विशेष न्यायालय के निर्णयों को सरल/स्थानीय भाषा में व्याख्या कर बच्चे एवं उसके अभिभावकों को अवगत कराना।
16. पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता संरक्षित रखना तथा किसी स्तर पर पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक नहीं करना।

अध्याय 8

बाल यौन शोषण की रोकथाम के प्रति हमारे दायित्व

प्रतिदिन बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने के बावजूद भी क्या हम अपने बच्चों को ऐसे शोषण की घटनाओं से सुरक्षित व सावधान रहने के बारे में सशक्त या शिक्षित या जागरुक करते हैं?

बच्चे देश की सम्पत्ति एवं भविष्य है। परिवार में उनकी सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि समुदाय का भी दायित्व है। बाल यौन शोषण की घटनाओं की रोकथाम हेतु बच्चों को सचेत/सावधान एवं शिक्षित करने तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु निम्न प्रयास किये जा सकते हैं-

सामुदायिक दायित्व–

- ग्राम सभा, पंचायत एवं सामुदायिक बैठकों में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण एवं उसके प्रभाव पर चर्चा करें। क्योंकि बच्चों का संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है।

- थिएटर/सिनेमाघरों में बाल यौन शोषण की रोकथाम के प्रति जागरूकता संदेश प्रसारित करायें।
- क्लब/समूहों के माध्यम से बच्चों हेतु जागरूकता एवं आत्मरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करें।
- विद्यालयों एवं समुदाय में होर्डिंग्स, पम्पलेट्स, पोस्टर, नारे लेखन इत्यादि के माध्यम से बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार करें।
- जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर बाल यौन शोषण की रोकथाम की पैरवी करें।
- सार्वजनिक स्थानों यथा पार्क, अस्पतालों, विद्यालयों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं सार्वजनिक परिवहन के साधनों/स्थानों सहित अन्य स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाल सुरक्षा तंत्र का निर्माण करे।
- प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से स्कूल बस ड्राईवर, टेम्पो ड्राईवर को बच्चों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार एवं संवेदनशील बनाएं।
- बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध करके यौन शोषण की रोकथाम में योगदान दें।
- समुदाय में पीड़ित बच्चे को दोषी नहीं मानते हुए पीड़ित बच्चों का समर्थन करें तथा यह सुनिश्चित करें, कि किसी भी स्तर पर पीड़ित बच्चे को उपेक्षा/भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़े।

व्यक्तिगत दायित्व –

- अगर बच्चा अचानक उदास या चुप रहने लगे, तो धैर्यपूर्वक बच्चे से बातचीत कर ऐसे व्यवहार का कारण जानने की कोशिश करें।
- यदि बच्चा स्वयं या किसी अन्य बच्चे के साथ हुए किसी प्रकार के शोषण/यौन शोषण के बारे में बताएं, तो उसकी बात पर विश्वास करें।
- अगर बच्चे का किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा लगाव हो रहा है, तो कृपया सचेत एवं सजग रहें।
- यदि कोई अनजान व्यक्ति/पड़ोसी/रिश्तेदार द्वारा बच्चे से अत्यधिक मेल-जोल बढ़ाने, बच्चे के साथ अकेले रहने या बार-बार स्पर्श करने या प्यार करने पर या ऐसा प्रयास करें, तो ऐसी स्थिति में माता पिता या परिवारजन सतर्क रहें एवं बच्चे को उसके संपर्क में आने से रोकें।
- बच्चे एवं उसके दोस्तों द्वारा खेले जा रहे खेलों पर नजर रखें, क्योंकि बच्चे खेल-खेल में यौन क्रियाओं में सक्रिय हो सकते हैं। बच्चों के साथ इस बारे में बात करें एवं सही-गलत का फर्क बताएं।
- बड़े बच्चों को यौन संबंधों एवं उनके सही मूल्यों के बारे में जानकारी दें। आपके लिए ऐसा करना असहज हो सकता है, लेकिन इससे बच्चों को सही जानकारी प्राप्त होगी।
- बच्चों को सिखायें कि यदि वें किसी व्यक्ति के स्पर्श से असहज महसूस करें, तो उसका विरोध करें तथा इसके बारे में बिना किसी देरी के अपने माता-पिता एवं परिजनों को बतायें।
- अगर बच्चा किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करे, तो इसे गंभीरता से लें।
- बाल यौन शोषण की स्थिति में बच्चों को विश्वास दिलाएं, कि आप उनके साथ हैं तथा इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है।
- कभी भी बच्चों को ऐसे वयस्क से मिलने पर मजबूर ना करें, जिससे वे असहज महसूस करते हों।
- बच्चा अपने किसी परिजन एवं रिश्तेदार के पास जाने से कतराए या डरने लगे, इसका कारण जानने का प्रयास करें तथा बच्चे के साथ यौन शोषण के मामले की स्थिति मे तत्काल पुलिस को सूचित करें।
- बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं 112 तथा पुलिस कन्ट्रोल रूम नंबर 100 के बारे में जानकारी प्रदान करें।

माता–पिता/अभिभावकों की भूमिका एवं दायित्व–

बाल यौन शोषण की रोकथाम के संबंध में माता–पिता/अभिभावकों की भूमिका एवं दायित्व–

- बच्चों के घर, विद्यालय, गतिविधि कक्षाओं एवं खेल के मैदान के माहौल की जानकारी रखें।
- बच्चों के नामांकन से पूर्व विद्यालय की बाल सुरक्षा नीति एवं स्टाफ से जीरो टॉलरेंस की नीति, शिक्षकों/कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन, सीसीटीवी कैमरा इत्यादि की स्थिति के बारे में जाने।
- बच्चों की दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी रखें एवं बदलाव होने पर उनसे जानकारी लें।
- बच्चों के दोस्तों एवं उनके माता-पिता के बारे में जानें तथा शिक्षकों एवं देखभालकर्ताओं से मिलते रहें तथा बच्चों से उनके दैनिक क्रियाकलापों एवं पसंद-नापसंद के बारे में बात करें।
- बच्चों द्वारा टेलीविजन एवं इंटरनेट के उपयोग तथा ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में जागरूक रहें तथा इनके सुरक्षित उपयोग के बारे में सिखाएं।

सुरक्षित स्पर्श (Safe Touch)

ऐसा स्पर्श, जिससे बच्चा सुरक्षित, खुश, एवं आरामदायक महसूस करता है। जैसे माता-पिता का गले लगाना, डॉक्टर का स्वास्थ्य चेकअप के दौरान सही जगह पर छूना (सहमति के साथ), या किसी प्रियजन का स्नेहपूर्ण हाथ पकड़ना।

असुरक्षित स्पर्श (Unsafe Touch)

ऐसा स्पर्श, जिससे बच्चा असहज, डर, या शर्मिंदगी महसूस करता है। जैसे बच्चे के किसी निजी अंग को छूना, जबरदस्ती गले लगाना या किस करना, या किसी का बच्चे के शरीर को बिना अनुमति के स्पर्श करना/सहलाना।

- बच्चों की बातों को सुने, एक दोस्त की तरह उनकी बातों को समझे तथा खुलकर बातचीत करें एवं उनके सवालों के जवाब दें।
- बच्चों को अपना मोबाइल नम्बर तथा घर का नम्बर याद करायें तथा बच्चों को किसी के पास अकेले छोड़ते समय सतर्क रहें।
- बच्चों के घर में अकेले रहने पर सीसीटीवी कैमरा इत्यादि की सहायता से उन पर निगरानी रखें।
- 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अपने निजी अंगों की सफाई करना सिखाएं तथा बच्चों को बताएं कि, स्नान या आवश्यक देखभाल के दौरान माता-पिता/अभिभावक के अलावा अन्य कोई उनके निजी अंगो को स्पर्श नहीं कर सकता है।
- शोषण से सुरक्षा के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभवों एवं समाधानों को बच्चों से साझा करें।
- बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं पुलिस सहयता हेतु 112 एवं100 नंबर के बारे में जानकारी दें तथा मोबाइल/टेलीफोन का उपयोग करना सिखाएं तथा बच्चों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताएं।

यौन शोषण से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में माता–पिता/अभिभावकों की भूमिका एवं दायित्व–

- बच्चे को विश्वास दिलाये की इसमें उसकी कोई गलती नहीं है तथा आप उसके साथ हैं।
- किसी प्रकार के सामाजिक दबाव एवं प्रलोभन में नहीं आयें तथा यौन शोषण की तत्काल पुलिस में रिपोर्ट करें।
- पीड़ित या परिवार की सुरक्षा को खतरा होने के आशंका पर पुलिस को सूचित करते हुए सुरक्षा की मांग करें।
- बच्चे का आवश्यकतानुसार चिकित्सा उपचार करायें।
- बच्चें के साथ किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव/उपेक्षा नहीं करें, उसके साथ अन्य बच्चों की तरह व्यवहार करें।
- बच्चें पर विश्वास करें तथा उसे बात-बात पर रोके-टोके नहीं एवं सामाजिक गतिविधियों में समान प्रतिभागी बनाये।
- बच्चे की शिक्षा को निरन्तर रखें तथा समान रूप से विकास के सभी अवसर प्रदान करें।
- यह सुनिश्चित करें, कि यौन शोषण की घटना के लिए बच्चा स्वयं को गलत, हीन या जिम्मेदार नहीं माने।
- किसी भी स्थिति में बच्चे को यह महसूस नहीं करायें, कि उसने कुछ गलत या कोई अपराध किया है।
- बच्चे को सामाजिक एवं भावनात्मक सहयोग तथा सकारात्मक पारिवारिक वातावरण उपलब्ध करायें।
- प्रकरण में पुलिस अनुसंधान एवं न्यायिक कार्यवाही तथा चिकित्सा जांच/उपचार के दौरान बच्चे के साथ रहें। पुलिस अनुसंधान एवं न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास करें तथा सहयोग करें।

- बच्चे के प्रकरण में विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अधिवक्ता की नि:शुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
- बच्चे के प्रकरण में प्रतिकर/मुआवजा प्राप्त करने के लिए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 के तहत् आवेदन करें।
- बच्चे प्रकरण में पुलिस अनुंसधान एवं विचारण पूर्व/दौरान सहयता हेतु आवश्यकतानुसार सहायक व्यक्ति (बाल मित्र) की सेवाएं लेने हेतु संबंधित बाल कल्याण समिति से समन्वय करें।
- यौन शोषण के कारण बच्चे को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का शिकार नहीं होने दें।
- बच्चों के साथ यौन शोषण की घटना को पहचानने के लिए अध्याय 03 में वर्णित संभावित संकेतों को पढ़ें।
- बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी हेतु अध्याय 06 पढ़ें ।

बच्चे यौन शोषण से अपनी सुरक्षा कैसे करें–

- **''ना'' कहें** –जब भी कोई आपको इस तरह से स्पर्श करे, जो आपको अच्छा नहीं लगे या असहज लगे, तो साफ शब्दों में 'ना' कहें।
- **चिल्लाएं**-जोर-जोर से चिल्लाएं एवं तब तक चिल्लाएं जब तक कोई मदद नहीं मिले।
- **भाग कर सुरक्षित स्थान पर जाए–** तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं एवं माता-पिता या परिवार के बडे. सदस्यों को बताएं।
- **खतरनाक संकेत पहचानें–** यदि कोई आपको असहज तरीके से स्पर्श करता है या अश्लील सामग्री दिखाता है, तो तुरंत बताएं।
- **उपहार न लें**–अनजान व्यक्तियों से चॉकलेट या खिलौने जैसे उपहार न लें, ध्यान रखें, आपके साथ होने वाली गलतियाँ आपकी नहीं हैं।
- **सुरक्षित स्थान–** हमेशा जानें कि आपके आस-पास सुरक्षित स्थान क्या है, जैसे घर, स्कूल या दोस्तों के घर।
- **संवेदनाओं पर ध्यान दें–** अपने अंदर की आवाज सुनें, यदि कुछ सही नहीं लगता, तो भागें।
- **गोपनीयता न रखें**–किसी भी अनुचित व्यवहार को छिपाने की कोशिश न करें तथा माता-पिता या परिवार के बड़े सदस्यों को जरूर बताएं।
- **अजनबियों से दूरी–** अनजान लोगों से दूरी बनाएं तथा अगर कोई आपको पहचानने की कोशिश करे, तो सावधान रहें।
- **ग्रुप में रहें**–जब भी संभव हो, दोस्तों के साथ रहें, अकेले रहने से बचें।

- **माता–पिता के साथ नियमित संवाद–** अपने माता-पिता के साथ नियमित रूप से अपनी भावनाओं एवं अनुभवों के बारे में बात करें।

बाल संरक्षण हेतु कार्यरत तंत्र एवं उनकी भूमिका

क्र. संख्या	स्तर	कार्यरत तंत्र	बाल संरक्षण में भूमिका
1.	राष्ट्रीय	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग चन्द्रलोक भवन, 5 वी मंजिल 36 जनपथ रोड़, पहाड़गंज, माथुर लेन, नई दिल्ली	• देश में बच्चों से संबंधित अधिनियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। • बाल संरक्षण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देना। • बाल संरक्षण पर कार्यरत एजेसियों एवं हितधारकों के कार्यो का जायजा लेने हेतु दौरे करना इत्यादि। • आयोग की बेवसाइट पर स्थापित पोक्सो ई-बॉक्स पर प्राप्त शिकायतों का अवलोकन करना तथा संज्ञान लेना।
2.	राज्य	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 7बी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों मुख्यालय के सामने, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राज. दूरभाष 0141-2708980	• राज्य में बच्चों से संबंधित अधिनियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। • बाल संरक्षण के संबंध में प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा शिकयत के संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देना। • बाल संरक्षण पर कार्यरत एजेसियों एवं हितधारकों के कार्यो का जायजा लेने हेतु दौरे करना इत्यादि।
3.	राज्य	बाल अधिकारिता विभाग 20/198, सेक्टर-2, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर 0141-2399335	• राज्य में बच्चों से संबंधित अधिनियमों नियमों, दिशा-निर्देश इत्यादि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। • राज्य में कार्यरत बाल संरक्षण घटकों को सहयोग उपलब्ध कराना। • राज्य में कार्यरत बाल संरक्षण तंत्र हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना। • राज्य में बाल संरक्षण की स्थिति का आंकलन करना तथा जिला संरक्षण इकाई से रिपोर्ट प्राप्त करना। • राज्य स्तर पर बच्चों से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना। • राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत बाल संरक्षण तंत्र को समेंकित बाल संरक्षण योजना के तहत् वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना।

क्र. संख्या	स्तर	कार्यरत तंत्र	बाल संरक्षण में भूमिका
4.	जिला	जिला बाल संरक्षण इकाई (जिला मजिस्ट्रेट के प्रशासनिक नियंत्रण में)	• जिले में बाल संरक्षण से संबंधित अधिनियम, नियम, दिशा-निर्देश इत्यादि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। • जिले में बाल संरक्षण स्थिति का आंकलन करना तथा इस संबंध में ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करना इत्यादि। • जिले में कार्यरत बाल संरक्षण घटकों को सहयोग उपलब्ध कराना।
5.	जिला	बाल कल्याण समिति (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त न्यायपीठ)	• देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण में देखरेख, संरक्षण उपचार, विकास तथा पुनर्वास सुनिश्चित करना। • यौन शोषण के मामलों में पीड़ित बच्चों की सहायता हेतु समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त करना। • जिले में देखभाल एवं संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण करना, बच्चों हेतु आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेना। • देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों का समय बद्ध निस्तारण करना।
6.	जिला	किशोर न्याय बोर्ड (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त न्यायपीठ)	• विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई, निस्तारण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना। • विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करना।
7.	जिला	मानव तस्करी विरोधी यूनिट	• बच्चों की खरीद-फरोख्त एवं दुर्व्यापार की रोकथाम करना। • लैंगिक अथवा शारीरिक शोषण/तस्करी से पीड़ित बच्चों को मुक्त कराना।
8.	जिला	चाइल्ड हेल्पलाइन 1098	• मुसीबत में फंसे बच्चों, शोषण/यौन शोषण से पीड़ित बच्चों की सहायता करना। • सूचना मिलने पर पुलिस एवं अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चें तक पहुंचना तथा आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। • बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

क्र. संख्या	स्तर	कार्यरत तंत्र	बाल संरक्षण में भूमिका
9.	जिला एवं ब्लॉक	बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी	• 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक के विवाह की रोकथाम हेतु तत्काल कार्यवाही करना। • बाल विवाह नहीं करने हेतु बालक/बालिका के माता-पिता को पांबद करना। • बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु संबंधित क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निषेधाज्ञा जारी करवाना। • बाल विवाह शून्य करवाने में बच्चों की मदद करना।
10.	जिला एवं पुलिस थाना	विशेष किशोर पुलिस इकाई (प्रत्येक जिले में) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (प्रत्येक पुलिस थाने में)	• देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों एवं विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों के संज्ञान लेना। • बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। • बच्चों के विरूद्ध अपराध के मामलों में अविलंम्ब रिपोर्ट दर्ज करना तथा बच्चे द्वारा चाहे गये स्थान पर बयान दर्ज करना। • प्रकरण की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार बच्चे को बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करना। • बच्चों के प्रकरण में शीघ्रताशीघ्र अनुसंधान करना इत्यादि।
11.	ब्लॉक, वार्ड एवं ग्राम पंचायत	बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति	• इस समिति द्वारा ब्लॉक/ग्राम पंचायत में बाल मैत्री वातावरण तैयार किया जोयगा। • समिति द्वारा बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु जागरूकता पैदा की जायेगी। बच्चों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर पुर्नवासित किया जायेगा। • शोषण/हिंसा के मामलों में आवश्कतानुसार जांच कार्य में संबंधित एजेंसियों का सहयोग करना।

unicef
for every child

CRC
CHILD RESOURCE CENTRE

स्वस्ति पन्थामनु चरेम
HCM RIPA

बाल संदर्भ केन्द्र

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान) – 302017

दूरभाष : +91-141-2706556, 2706268, 2715219

वेबसाईट : hcmripa.rajasthan.gov.in • www.crc-hcmripa.in

ईमेल : crc.cmsripa@gmail.com • hcmripa@rajasthan.gov.in